आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

शस्त्र अपील वाद सं0-174/2022

दीपक कुमार मिश्रा.....अपीलकर्त्ता

बनाम्

बिहार राज्य एवं अन्य .....विपक्षी

04.08.2023

आदेश

प्रस्तुत अपीलवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. No. 4552/2022 में दिनांक 19.12.2002 को पारित आदेश के अनुपालन में इस स्तर पर सुनवाई हेतु लाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नलिखित है:-

" .....in case appropriate appeal is filed by the petitioner, within a period of four weeks from today, the same shall be considered on merits and disposed off by the Appellate Authority by passing a reasoned and a speaking order in accordance with law, within a period of 12 weeks, thereafter."

1. वाद का संक्षिप्त विषय-वस्तु यह हैं कि अपीलकर्त्ता श्री दीपक कुमार मिश्रा, पिता-स्व0 विन्दो मिश्र, सा0-खजुहॉकला, थाना-विजयीपुर, जिला-गोपालगंज द्वारा एक एन0पी0 बोर रिवाल्वर/पिस्टल के शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु **आर्म्स एक्ट, 1959** के प्रावधानों तहत जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन के आलोक में जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के कार्यालय द्वारा पुलिस प्रतिवेदन की मांग की गयी जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज के पत्रांक-4549/गो0, दिनांक 15.07.2018 द्वारा पुलिस प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदन के निष्पादन के क्रम में अपीलकर्त्ता द्वारा दिनांक 16.09.2022 को न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, गोपालगंज के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया। वाद की सुनवाई के पश्चात शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलकर्त्ता के जानमाल पर कोई विशेष भय/खतरा पुलिस प्रतिवेदन में अंकित नहीं है तथा उन्हें शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु यथेष्ठ कारण नहीं है।

2. जिला दण्डाधिकारी, गोपालगंज के उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-4552/2022 दायर किया, जिसमें दिनांक 19.12.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में प्रस्तुत वाद इस स्तर पर लाया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक उपस्थित। विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

3. अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि अपीलकर्त्ता पूर्व

में B.D.C. चुनाव में प्रत्याशी रहे है। उनके द्वारा एक स्कूल का संचालन किया जाता है तथा वे स्थानीय पत्रकार भी है। उनके द्वारा बताया गया कि अपीलकर्त्ता के जान-माल पर व्याप्त खतरे की आशंका की पुष्टि दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर के अंक दिनांक 25.03.2011 द्वारा भी की जा सकती है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि अपने उपर खतरे की आशंका के मद्देनजर अपीलकर्त्ता द्वारा स्थानीय थाने में सनहा सं0-1933/22, दिनांक 06.07.2022 दर्ज कराया गया है। इस क्रम में अपीलकर्त्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज को भी असामाजिक तत्वों से अपने जानमाल पर आसन्न खतरे की आशंका के संबंध में आवेदन दिया गया है। अपीलकर्त्ता द्वारा शस्त्र प्रशिक्षण से संबंधित प्रमाण-पत्र जो जिलाधिकारी देवरिया द्वारा निर्गत है कि प्रति भी उपलब्ध करायी गयी परन्तु जिला पदाधिकारी द्वारा उक्त बिंदुओं पर विचार नहीं करते हुए आदेश पारित किया गया है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि **Arms Rule-2016 की कंडिका-13** जो शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने से संबंधित है, में स्पष्ट किया गया है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति से संबंधित मुखर आदेश 60 दिनों की समय सीमा के अंदर पारित किया जाना है। इसके अलावे **Arms Rule-2016 के कंडिका-14** में अंकित प्रावधान, जिसमें पुलिस प्रतिवेदन 30 दिनों में प्राप्त कर लिया जाना है, के विपरीत जिला पदाधिकारी कार्यालय द्वारा पुलिस प्रतिवेदन प्राप्त करने में कई महिनों का विलंब किया गया है तथा उसके बाद भी लगभग चार वर्ष बाद Non-Speaking आदेश पारित किया गया है। परंतु वाद की सुनवाई के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रावधानो पर विचार नहीं करते हुए आदेश पारित किया गया है।

उक्त के आधार पर अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि शस्त्र वाद सं0-02/2022 में दिनांक 16.09.2022 को पारित आदेश को रद्द किया जाए तथा प्रस्तुत अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाए।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अपीलकर्त्ता के तर्को का खंडन किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि पुलिस निरीक्षक, मीरगंज, अंचल अधिकारी, विजयीपुर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, हथुआ, अनुमंडल पदाधिकारी, हथुआ द्वारा तथा पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज के पत्रांक-4549/गो0, दिनांक 15.07.2018 द्वारा अपीलकर्त्ता के शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन को अग्रसारित मात्र किया गया है, कोई अनुशंसा नहीं की गयी है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि पुलिस प्रतिवेदन में अपीलकर्त्ता के जान-माल पर खतरे की कोई आशंका नहीं व्यक्त की गयी है। यदि अपीलकर्त्ता को किसी व्यक्ति से खतरा है तो उक्त के संबंध में कोई F.I.R. स्थानीय थाने में दर्ज कराए जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उनके द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि इस स्तर पर भी सुनवाई के क्रम में अपीलकर्त्ता द्वारा ऐसा कोई तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जा सके की उन्हें शस्त्र अनुज्ञप्ति की वास्तविक आवश्यकता है।

उक्त के आधार पर अपर लोक अभियोजक अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि जिला पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश न्यायोचित प्रतीत होता है, अतएव उसे यथावत रखा जाए।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालीय अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलकर्त्ता द्वारा पूर्व में B.D.C. प्रत्याशी रहने, एक स्कूल का संचालन करने तथा स्थानीय पत्रकार के रूप में कार्यरत रहने के दौरान अपने उपर खतरे की आशंका के मद्देनजर स्थानीय थाना में दर्ज कराए गए सनहा सं0-1933/22 तथा जिलाधिकारी, देवरिया (उ0प्र0) द्वारा निर्गत शस्त्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्ति का अनुरोध किया गया है। जबकि विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा पुलिस प्रतिवेदन में अपीलकर्त्ता के जान-माल पर किसी खतरे की आशंका व्यक्त नहीं किए जाने तथा अपीलकर्त्ता द्वारा अपने उपर खतरे की आशंका के मद्देनजर कोई एफ0आई0आर0 थाना में दर्ज नहीं कराए जाने के आधार पर उनके शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु किए गए अनुरोध का खंडन किया गया है।

मामलें के विश्लेषण के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित कतिपय निर्णय यथा **Manish Kumar & ors. Vs The State of Bihar & ors.** में पारित आदेश जो **PLJR(2015)4,212** में उल्लेखित है कि *" in my considered opinion, the licensing authority cannot apply its discretion in a manner to hold that lack of evidence regarding threat perception would make the applicant unfit for grant of licence under section 14(1)(b)(i)(3) of the Act. The provision has to be read necessarily as the same is there without substituting or taking away anything therefrom. It clearly lays down that the licence can be refused if the applicant is found unfit for any reason under the Act."* तथा **The State of Bihar & ors. Vs Deepak Kumar** में पारित आदेश जो PLJR (2019)1664 में उल्लेखित है कि *"in our opinion, would be contrary to the intent of grant of licence inasmuch as it is not necessary that a person should have an actual threat or imminent threat perception, but it would suffice if the applicant is able to persuade the authority to take into consideration the nature of his trade profession and calling for the purpose of grant of license which situation has now been taken care of under Sub-Rule (3)(a) of Rule 12 of the 2016 Rules."* के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा केवल वास्तविक खतरे की आशंका ही नहीं बल्कि Arms Rules, 2016 के कंडिका 12 (3)(a) में अंकित प्रावधान *"any person who by the very nature of his business, profession, job or otherwise has genuine requirement to protect his life and/or property...."* के आलोक में भी किसी आवेदनकर्त्ता को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने के बिन्दु पर भी विचार किए जाने का सुझाव दिया गया है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आलोक में प्रस्तुत वाद जिला दण्डाधिकारी, गोपालगंज को इस निदेश के साथ वापस किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा **Manish**

Kumar (Supra) एवं **Deepak Kumar (Supra)** में दिए गए observation के आलोक में एवं Ministry of Home Affairs IS-II Division/Arms Section New Delhi के पत्र सं0-V-11016/16/2009-Arms, दिनांक 31.03.2010 के कंडिका (ii)(b) में उल्लेखित बिन्दुओं *(i) antecedents of the applicant, (ii) assessment of the threat, (iii) capability of the applicant to handle arms, and (iv) any other information which the police authority might consider relevant for the grant or refusal of licence* पर संबंधित पदाधिकारियों से बिन्दुवार स्पष्ट मंतव्य सहित प्रतिवेदन प्राप्त कर अपीलकर्त्ता को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने के बिन्दु पर एक सुस्पष्ट एवं मुखर आदेश पारित करें।

उपर्युक्त निदेश के साथ प्रस्तुत वाद का निस्तार किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।